न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश XII , सीतामढ़ी।
नियमित जमानत आवेदन संख्या–1825 / 2022
बथनाहा थाना कांड संख्या–393 / 2022

अरुण कुमार भगत.....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी।

आदेश

10.01.23 प्रार्थी आवेदक अरुण कुमार भगत की ओर से जमानत आवेदन पत्र बथनाहा थाना कांड संख्या–393 / 22 जो भा.द.वि की धारा–323, 427, 436, 379, 506 के अंतर्गत दर्ज है, को प्रचालित किया गया।

अधिवक्ता श्री अजय कुमार–2 एवं अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अकिल अहमद को सुना।

प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र पर आवेदक के विद्वान सूचक लालबाबू भगत के द्वारा दाखिल फर्दबयान के अनुसार दिनांक 21.11.22 को समय करीब 10:00 बजे रात्री में उनका पुत्र अरुण कुमार भगत अचानक उनको तथा उनकी पत्नि रामदुलारी देवी को गला दबाने लगा जब वे लोग चिल्लाये तो बगल के लोग दौड़कर आये तथा जान बचाया फिर पड़ोस के लोग चले गये तो फिर पुनः उसने दोनों को बुरी तरह गर्दन में गमछा बॉधकर घिसयाकर मारने लगा जबकि वे दोनों पैर से विकलांग है। पूर्व में भी उनलोगों साथ कई बार मारपीट किया है तथा घर का सामान तोड़–फोड़ करने लगा। विगत चार माह पूर्व इनके द्वारा घर में आग लगा दिया गया था, जिससे घर तथा घर का सामान जल गया था। वह किसी भी समय कोई भी घटना कर सकता है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है, कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक दिनांक 23.11.2022 से कारा अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध लांछित अभियोग निराधार एवं मनगढंत है। वास्तव में आवेदक के विरूद्ध उनके शत्रुओं ने उनकी संपत्ति छीनने के लिए मनगढ़ंत मामला दर्ज करवाया है। अन्य सभी धाराएं जमानतीय प्रकृति है तथा धारा–436 भा0दं0वि0 गंभीर एवं गैर जमानतीय बनाने के लिए लगाया गया है, जबकि यह धारा–436 भा0 दं0 वि0 का अभियोग नहीं बनता है। आवेदक की पलायन की कोई संभावना नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतएव आवेदक को जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाए।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक आवेदक द्वारा दाखिल जमानत आवेदन का विरोध कर निवेदन किया गया हैं कि आवेदक के विरूद्ध अन्य धाराओं के साथ धारा–436 भा0

लगातारः
10.01.23

दं0 वि0 लांछित किया गया है जो अजमानतीय है। अतएव आवेदक का जमानत आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अभिलेख तथा कांड दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है तथा उनके विरूद्ध भा0 दं0 वि0 की अन्य धाराओं के साथ धारा–436 भा0 दं0 वि0 भी लांछित किया गया है जो कांड दैनिकी के साक्षियों के अभिकथन के द्वारा परिलक्षित नहीं होता है, साक्षियों ने आवेदक के द्वारा मारपीट का समर्थन किया है, लेकिन कोई गंभीर अपराध कारित किये जाने का अभिकथन नहीं किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदक के विरूद्ध लगाया गया अभियोग गंभीर प्रकृति का नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। अतः आवेदक दिनांक 23.11.2022 से कारा अभिरक्षा में है।

वाद की उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक अरुण कुमार भगत को जमानत की सुविधा दी जाती है तथा मो0 10,000 हजार रुपया के दो बंध पत्र एवं दो समान प्रतिभूओं के साथ दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

अपर सत्र न्यायाधीश XII,
सीतामढ़ी।

Copy of order
Memo-2
11/1/23